

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ० बजट-आवंटन-23/2015 108(भाग्तन)/कृ०, पटना, दिनांक 21-०९-2015  
प्रेषक,

प्रभु राम,  
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में, मुख्य लेखा पदाधिकारी,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना

विषय : राज्य किसान आयोग को वर्ष 2015-16 में सहायक अनुदान मद में 111.02 लाख रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख दो हजार रु०) मात्र की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 18.00 लाख रुपये (अठारह लाख रु०) मात्र, सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल 17.93 लाख रुपये (सतरह लाख तिरानवे हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹17,93,000 (सतरह लाख तिरानवे हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4452 दिनांक-02.09.2015 द्वारा राज्य किसान आयोग को वर्ष 2015-16 में सहायक अनुदान मद में 111.02 लाख रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख दो हजार रु०) मात्र की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 18.00 लाख रुपये (अठारह लाख रु०) मात्र, सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल 17.93 लाख रुपये (सतरह लाख तिरानवे हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹17,93,000 (सतरह लाख तिरानवे हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹17,93,000 (सतरह लाख तिरानवे हजार रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना माँग सं0-01- उपशीर्ष - 0106- इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्रकोड-P2401007890106 विषयशीर्ष - 3104 - सहायक अनुदान वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० न० के साथ व्यय विवरणी अधोस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक

108(भाग्तन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।  
/कृ०, पटना, दिनांक 21-०९-2015

नाम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक

108 (आवश्यक)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-८९ - , 2015

प्रतिलिपि : अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०ए०/भूमि संरक्षण/उद्यान बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना /संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/अवर सचिव किसान आयोग बिहार, पटना /प्रशास्त्र पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शाष्य) सूचना /आई टी मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुना

१५/८/१५  
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

नाम